राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकःप.11(1)मं.म./1999 जयपुर, दिनांकः–7/12/2017

—:— **आज्ञा** —:—

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.11.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं यथा वेतन एवं सत्कार भत्ता मद (क्रम सं. 1) में संशोधन करते हुए तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से वेतन एवं सत्कार भत्ता दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क.सं.	मद	देय सुविधाएं
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	1–रू 45,000/–वेतन एवं रू 34,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) 2–रू 42,000/–वेतन एवं रू 34,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा है) 3–रू 40,000/–वेतन एवं रू 30,000/–सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)

आज्ञा दिनांक 30.11.2012 में अंकित शेष सुविधाओं से संबंधित बिन्दु यथावत है। यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आई.डी.संख्या 101705862 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

यह मंत्रिमण्डल सचिवालय में सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय।
2–अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3–प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4–सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5–वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
6–निजी सचिव, अध्यक्षगण, विभिन्न आयोग।
7–संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
8–मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
9–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
10–रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव

(12) (95)

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प0 11(1)मं.मं./99 जयपुर, दिनांक: 30/11/12

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 06.01.2000,दि0 30.07.2010, दि0 24.2.2012 एवं दिनांक 30.05.2012 आज्ञा क्रमांक प0 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में सत्कार भत्ता की अतिरिक्त सुविधा को तुरन्त प्रभाव से प्रदान करते हुए पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार संशोधित (इकजाई) आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र.सं.	मद	देय सुविधाएं
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	₹ 30,000/-एवं ₹ 20,000/-सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) ₹ 27,000/-एवं ₹20,000/-सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है) ₹24,000/-एवं ₹15,000/-सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)
2	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु।
3.	चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री /उप मंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार ।
4.	यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/ उप मंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता ।
5.	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- (क) राज्य में ₹1000/- प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (ख) राज्य से बाहर ₹1250/-प्रति दिन(100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6.	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु। एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:- मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में उप मंत्री स्तर हेतु 7,500/- काल्स प्रति दो माह में
7.	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण /उप मंत्रिगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय होगी ।

आवास भत्ता : आज्ञा क्रमांक: प0 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रदत्त :-

क्र.सं.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
1	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं हैं ।	₹10,000/-	इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
2.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी हैं ।	₹ 3,000/-	--

सदस्यगण हेतु:- इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.09.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों में पदस्थापित सदस्यगण को निम्न प्रकार से राजकीय सुविधायें प्रदान की गई हैं:-

क्र.सं.	मद		देय सुविधाएं
1.	राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु :-		₹1000/-प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।)
	(क)	बैठक में उपस्थित फीस (प्रत्येक बैठक हेतु)	
	(ख)	कन्वेन्स अलाउन्स (स्थानीय)	₹150/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।)
	(ग)	यात्रा भत्ता	"ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार (प्रत्येक माह में यात्रा-भत्ता की सीमा 5 रहेगी।)
2.	टेलीफोन काल्स की सीमा		1800 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक टेलीफोन बिल की राशि का पुनर्भरण देय।

यह आज्ञा वित्त (नियम) की आई.डी. संख्या 101204392 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 गौतम मुखर्जी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राज., जयपुर / प्रमुख सचिव/सचिव (प्रथम/द्वितीय) मुख्यमंत्री।
2 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव शासन सचिवालय ।
3 प्रमुख शासन सचिव, वित्त शासन सचिवालय ।
4 निजी सचिव, अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण विभिन्न आयोग राजस्थान, जयपुर ।
5 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6 मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
7 लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग ।
8 लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
9 उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3 एवं 5) विभाग ।
10 कन्ट्रोलर, राज. स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
11 रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 11(1)मंमं/99   जयपुर, दिनांकः 30-5-2012

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 6.1.2000 एवं दिनांक 30.7.2010 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री /उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में संशोधन करते हुए दिनांक 1.4.2012 से निम्न प्रकार से वेतन एवं अन्य राजकीय सुविधायें दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वेतन	30,000/- रूपये (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) 27,000/- रूपये (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है) 24000/- रूपये (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)
2. एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु ।
3. चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार ।
4. यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता ।
5. दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- (क) राज्य में 1000/- रूपये प्रति दिन 180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (ख) राज्य से बाहर 1250/--रूपये प्रति दिन 100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)
6. टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:- मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में राज्य मंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में उप मंत्री स्तर हेतु 7,500 काल्स प्रति दो माह में
7. ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	राजकीय कार्य हेतु राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली एवं राज्य के विभिन्न विश्राम गृहों में ठहरने एवं भोजन आदि हेतु नियमानुसार सामान्य दर पर सुविधा देय होगी । विश्राम भवन, जयपुर में उक्त सुविधा देय नहीं होगी ।

माननीय मंत्री/राज्यमंत्री /उपमंत्री को प्रदत्त वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में से उक्त सात सुविधाओं में जब-जब वृद्धि होगी, तदनुसार यह आदेश संशोधित किया जायेगा ।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. संख्या 101001913 दिनांक 30.06.2010 के अनुसरण में जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 [illegible])
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/ मुख्यमंत्री, राज., जयपुर ।
2. समस्त माननीय विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री /उपमंत्री स्तर का दर्जा स्वीकृत है ।
3. समस्त सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय ।
4. सचिव, मुख्यमंत्री ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज. ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर । 7. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग ।
8. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर । 9. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2 व 3) विभाग ।
10. कन्ट्रोलर, राज. स्टेट मोटर गैराज, जयपुर । 11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव